

बी०पी०एल० सूची में छुटे हुए परिवार का नाम जोड़ने एवं
गैर अर्हता वाले परिवार का नाम हटाने हेतु

प्रपत्र "क"

सेवा में,

श्रीमान्

व्यक्ति का नाम

पिता/पति का नाम

पता:-

ग्राम

टांला / मुहल्ला

पंचायत

नगर / पंचायत

प्रखंड

जिला

आपत्ति का कारण (संबंधित बिन्दु को चिन्हित करें)-

(1) पारिवारिक सूची में नाम जोड़ने हेतु (विवरण दें)

(2) पारिवारिक सूची में अपने घटकवार अंक की प्रविष्टि में त्रुटि सुधार हेतु (घटकवार विवरण दें)

(3) सूची में किसी अन्य व्यक्ति के घटकवार प्राप्तांक में त्रुटि है, जिसपर आपत्ति है उसका क्रमांक

नाम

पिता/पति का नाम

ग्राम/मोहल्ला

किस घटक में त्रुटि है (विवरण दें)-

(4) सूची में उल्लिखित व्यक्ति के मृत होने या स्थायी रूप से ग्राम छोड़ देने के कारण विलोपित करने हेतु क्रमांक

नाम

पिता/पति का नाम

मृत/अनिवासी (विवरण दें)-

तिथि

स्थान

आवेदनकर्ता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

प्राप्ति रसीद

श्री

ग्राम/मोहल्ला

से दिनांक

को आपत्ति आवेदन प्राप्त

किया गया। पंजी का क्रमांक

तिथि

स्थान

आवेदन प्राप्तकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

प्रपत्र "ख"

गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले व्यक्तियों का सर्वेक्षण प्रपत्र

1. जिला का नाम
2. परिवार के प्रधान का नाम
3. पिता / पति का नाम
4. मकान संख्या
5. गाँव / टोला का नाम
6. पंचायत का नाम
7. प्रखण्ड का नाम

खण्ड 'अ'

(क) पारिवारिक विवरणी

क्र०सं०	नाम	लिंग	परिवार के प्रधान से संबंध	शैक्षणिक कोड

शिक्षा

अशिक्षित	1
वर्ग 5 तक	2
वर्ग 9 तक	3
वर्ग 10 तक	4
वर्ग 12 तक	5
स्नातक एवं अधिक	6

पु० - पुरुष

स० - स्त्री

(ख) औसत मासिक आय (चिन्हित करें।)

250 से कम	250 से 499	500 से 1499	1500 से 2500	2500 से अधिक

(ग) उपयोग किये जा रहे जोत वी जमीन का प्रकार (केवल एक कॉलम जो सबसे उपयुक्त है, को चिन्हित करें।)

स्वामी	बटाईदार, पट्टेदार इत्यादि	दोनों स्वामी एवं बटाईदार	कोई नहीं

(घ) क्या इंदिरा आवास निर्माण के लिए अपनी भूमि है हाँ / नहीं.....

(ङ) पेयजल की सुविधा (केवल एक कॉलम जो सबसे ज्यादा उपयुक्त हो, उसमें सही अंकित करें।)

केवल एक पंक्ति (मैदानी क्षेत्र या पर्वतीय क्षेत्र का उपयोग करें)

मैदानी क्षेत्र के लिए	1.6 किमी की दूरी के अन्तर्गत पेयजल का स्रोत नहीं	1.00-1.59 किमी० की दूरी में पेयजल का स्रोत	0.50-0.99 किमी० की दूरी पर पेयजल	0.50 किमी० से कम दूरी के पेयजल का स्रोत	मकान के अंतर्गत स्रोत उपलब्ध है

पर्वतीय क्षेत्र के लिए	100 मी० ऊंचाई के अंदर पेयजल का स्रोत नहीं	50-100 मी० की ऊंचाई के अंदर पेयजल का स्रोत	50 मी० से कम ऊंचाई के अंदर पेयजल का स्रोत	स्रोत मकान के अंदर उपलब्ध है

